



International Journal of Multidisciplinary Research and Development



Volume: 2, Issue: 7, 536-537
July 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

अंजू गुप्ता

प्रवक्ता राजनीति विज्ञान

रमाकान्त द्विवेदी

प्रवक्ता-भूगोल

बालश्रम: एक समस्या "बाँदा जनपद के नरैनी विकास खण्ड के विशेष सन्दर्भ में।"

अंजू गुप्ता, रमाकान्त द्विवेदी

षोध सारांश

बाल्यावस्था स्वर्ग—सा आनन्द प्रदान करती है यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ जाति धर्म का कोई महत्व नहीं होता लेकिन यह अवस्था उन बच्चों के लिए नर्क बन जाती है जिनके नाजुक कर्णों पर किताबों के बजाय मिट्टी, गारा या अन्य वह बोझ होता है परिवार के मुखिया के सहयोग में रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए होटलों गैरिजों छोटे-बड़े व्यवसायिक केन्द्रों तथा गृहनिर्माण से अपने शरीर पर गन्दगी लपेटे एवं मालिकों की गालियाँ खाते रहते हैं। इनके पास अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों तक की पहुँच नहीं हो पाती।

यह कहना ठीक होगा की बच्चों के पोषण के सबसे भयावह रूप बाल मजदूरी जिसमें बच्चों को वयस्कों के बराबर काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य एवं सामान्य बचपन से वंचित कर दिया जाता है। बाल मजदूर गरीबी की चादर ओढ़े दरिद्रता को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहने वाले विनाशकारी चक्र का हिस्सा बन जाता है। षोध प्रार्थिनी का षोध प्रपत्र इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख कर किया गया है।

प्रस्तावना— अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं वरन् देश में अधिकांश बच्चे दुःख और कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जबकि विष्व जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत मात्र है तथा उनमें 87 प्रतिशत 0—18 आयु वर्ग में विकासशील देशों में और उन विकासशील देशों में शहरी जनसंख्या का 27 प्रतिशत और 3 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के बच्चे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

अध्ययन में बालश्रम— नरैनी विकास खण्ड में बालश्रम लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ कोई बड़ी-छोटी औद्योगिक इकाई नहीं है लेकिन लघु औद्योगिक इकाईयों चल रही है। जिसमें बच्चे होटल कार्य, गैरिज कार्य, तम्बाखू इकाई, केशर ईकाई उद्योग, बिल्डिंग निर्माण कार्य पर 1000 से अधिक 10—18 आयु वर्ग के बच्चे कार्य कर रहे हैं तथा बाल कृषि श्रमिक में तो कुल ग्रामीण जनसंख्या 45 प्रतिशत बच्चे कृषि कार्य में समय-समय पर लगे होते हैं। जिनमें पिछड़े वर्ग के बच्चों की संख्या 35 प्रतिशत है।

षोध विधि— प्रस्तुत षोध प्रपत्र के अन्तर्गत विशय से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं नवीनतम अध्ययन सामग्री जुटाने का प्रयास किया गया है। इस कार्य के लिए विप्लेशणात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया गया है तथा षोध कार्य में वास्तुनिश्चता को बनाये रखने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक साधनों का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य— कोई भी कार्य उद्देश्य विहीन होने पर महत्वहीन हो जाता है। अतः प्रस्तुत षोध प्रपत्र के निम्नांकित उद्देश्य है

1. बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी षासकीय प्रतियाँ एवं अधिनियमों का अध्ययन करना।
2. बालश्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारणों को ज्ञात करना।
3. बालश्रमिकों की संख्या में वृद्धि पर समाज के लोगों मनोवृत्ति का पता लगाना।
4. बालश्रमिकों की स्वास्थ्य एवं अवासीय स्थिति का अध्ययन करना।
5. बालश्रमिकों की षैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
6. बाल श्रमिकों को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन का अध्ययन करना।
7. विभिन्न क्षेत्रों में बालश्रमिकों के कार्य का स्तर जानना एवं उनकी कार्य दषाओं का अध्ययन करना।

पूर्वानुमान—

1. अषिक्षित होना
2. आर्थिक दृष्टि से परिवार का कमजोर होना।
3. बालश्रम कानून की षिथिलता जनसंख्या वृद्धि आदि पूर्वानुमान बालश्रम व्यक्त करता है।

भारत में बालश्रम तथा बच्चों के षोषण पर अनेक कानूनी प्रतिबंध लगे हैं। संविधान के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम आयु वाल बच्चे को किसी भी कारखाने में नहीं रखा जा सकता। कारखाना अधिनियम 1948 बाल अधिनियम 1960, 1978 तथा 1986 आदि बालश्रम प्रतिबंधित है परन्तु व्यवहार में

Correspondence

अंजू गुप्ता

प्रवक्ता राजनीति विज्ञान

इन कानूनों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कुछ सुझाव दिये गये हैं—

1. सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में सुधार हों।
 2. षासन एवं व्यक्तिगत लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम हम दो हमारे दो का पालन करें।
 3. न्यूनतम मजदूरी घण्टों का कम होना,स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाये।
 4. असंगठित क्षेत्रों में बच्चों का संरक्षण किया जाये।
 5. बच्चों को शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान को अनिवार्य किया जाये।
 6. बालश्रम कानून का कठोरता से पालन किया जाये तथा इसके उल्लंघन करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाये।
 7. बालश्रम उन्मूलन का प्रचार-प्रसार किया जाये।
- उपरोक्त उपाय बालश्रम के समाधान में महत्वपूर्ण सवित हो सकते हैं।

संदर्भ— कुरुक्षेत्र नवम्बर 2006
विकास खण्ड सांख्यिकीय पत्रिका

डॉ० रोहित जाटव : बालश्रम उन्मूलन की षासकीय नीतियाँ और बालश्रम के **मानवाधिकार की स्थिति:** उत्तर प्रदेश के बॉदा जिले के विशेष सन्दर्भ में एक व्यवहारिक अध्ययन अप्रकाषित षोध प्रबन्ध विक्रम विष्वविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0)